फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नंदलाल **बनाम** **विपक्षी : श्रीमती मिठूकूंवर व अन्य**

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम **पत्रावली संख्या 105/23**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 19.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1, 2 की तरफ से जवाब व दस्तावेज पेश किये गये। शामिल फाईल रहें। विपक्षी संख्या 17 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 17 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में केसी पत्नी शंकर के नाम 1/2 हिस्सा, नंदलाल पिता शंकर (प्रार्थी) के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी हक से अंकित है। खातेदार श्रीमती केसी बाई पत्नी शंकर चमार का निधन हो चुका है जिसका वारिस प्रार्थी है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी एकमात्र स्वामि, अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि के बीच सीमा को लेकर विवाद रहता है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा अपने जवाब में बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं केसी बाई का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है तथा इस हेतु माननीय न्यायालय में वाद विचाराधीन है। यह कि प्रार्थी नंदलाल द्वारा विपक्षी संख्या 1, 2 व अन्य के विरूद्ध इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि बाबत् घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया जो वर्तमान में माननीय न्यायालय में प्रकरण संख्या 166/2021 रे.वाद अनवान नंदलाल बनाम मिठूकुंवर व अन्य के रूप में विचाराधीन है। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा उक्त वाद में काउन्टर क्लेम बाबत् घोषणा व निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया हुआ है जिसके जवाब के लिए मूल वाद में कार्यवाही नियत है। यह कि प्रार्थी नंदलाल के द्वारा मूल वाद के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण 44/14 रे.प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2020 को निर्णय पारित फरमाया गया एवं मूल वाद के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। अतः विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा न्यायालय हाजा में विचाराधीन मूल वाद संख्या 166/2021 अनवान नंदलाल बनाम मिठूकूंवर व अन्य व विपक्षी संख्या 1, 2 के काउन्टर क्लेम के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 106, 107, 17 किता 3 रकबा 0.3900 है. भूमि पर स्थगन आदेश का अंकन लगा हुआ है। प्रकरण में मूल वाद प्रकरण 166/2021 अनवान नंदलाल बनाम मिठूकुंवर व अन्य विचाराधीन है जो प्रकरण घोषणा से संबंधित है जिससे मूल वाद प्रकरण संख्या 166/2021 अनवान नंदलाल बनाम मिठूकुंवर व विपक्षी संख्या 1, 2 के काउन्टर क्लेम के निस्तारण तक प्रकरण को निरस्त किया जाना उचित है।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का प्रार्थी के मूल वाद प्रकरण संख्या 166/2021 अनवान नंदलाल बनाम मिठूकुंवर व विपक्षी संख्या 1, 2 के काउन्टर क्लेम के निस्तारण के बाद प्रार्थना पत्र पुनः पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रार्थना पत्र 128 भू राजस्व अधिनियम का इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बेहडिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला उदयपुर (राज)